फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री छगनलाल बैरवा पिता हीरालाल बैरवा निवासी 48/2 ए टाईप राजपुरा दरीबा खान दरीबा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

–अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द **– प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 08/2022**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 22.02.2022

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा जरिये क्रमांकः प.1( ) सू0अ0,05/2022/135–136 दिनांक 28.01.2022 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 08.12.2021 को सूचना के अधिकार अधिनियम,05 के तहत इस कार्यालय को 13.12.2021 को प्राप्त हुआ हैं। आरटीआई आवेदन के बिन्दु संख्या 01 से 09 तक की जो सूचना अपीलार्थी द्वारा चाही गयी उसका संबंध कार्यालय से नहीं होकर निदेशक, खान एवं भू–विज्ञान खनिज भवन उदयपुर की होने कारण इस कार्यालय द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी का आरटीआई आवेदन कार्यालय के जरिये पत्रांकः–1252–53 दिनांक 14.12.2021 से संबंधित विभाग को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3)(1)(2) में निदेशक, खान एवं भू–विज्ञान खनिज भवन उदयपुर को अन्तरण करते हुए जरिये डाक प्रेषित करते हुए प्रार्थी को प्रति पृष्ठांकित की जाकर जरिये डाक से प्रेषित की गयी।

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्टानुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना का संबंध इस कार्यालय का नहीं होकर निदेशक, खान एवं भू–विज्ञान खनिज भवन उदयपुर की होने से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3)(1)(2) के तहत दिनांक 14.12.2021 को निदेशक, खान एवं भू–विज्ञान खनिज भवन उदयपुर को अन्तरण की जाकर अपीलार्थी को भी जरिये डाक से सूचित किया जा चुका है। अतः उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती हैं।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द